अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

———

क्रमांकः F.22(6)Edu-1/2021-01683-Part File(1)　　　　　　　　　　　जयपुर, दिनांकः

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ),
समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्टाफिंग पैटर्न के संबंध में।
प्रसंग :– आपका पत्र संदर्भ संख्या 11527872 दिनांक 06.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्टाफिंग पैटर्न आदेश दिनांक 30.04.2015 द्वारा निर्धारित मानदण्डों की समीक्षा हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 02.01.2025 को बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में प्रदत्त निर्देश एवं लिये गये निर्णयानुसार तैयार विभागीय प्रस्ताव का प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार नवीन मानदण्डों के आधार पर पदों का आंकलन किया जाना हैं।

अतः नवीन स्टाफिंग पैटर्न के मानदण्डों की प्रति संलग्न कर लेख है कि कृपया निर्धारित मानदण्डानुसार प्रत्येक संवर्ग के पदों के सृजन/समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव **तत्काल** भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ओ.पी.वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ
मनोज मीना

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Verma
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.03.13 08:25:58 IST
Reason: Approved

संशोधित प्रस्ताव

1. उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारण :–

1.1 एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारण :–

1.1.1 एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11–12 का नामांकन 120 तक, कक्षा 9–10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6–8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1–5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :–

(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान संकाय (कुल सेक्शन–12)	**कला संकाय (कुल सेक्शन–12)**	**वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–12)**
• प्रधानाचार्य – 1 • प्राध्यापक – 05 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (गणित/विज्ञान, सामा. विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (विज्ञान/गणित, हिन्दी, अंग्रेजी) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–15**	• प्रधानाचार्य – 1 • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (सामा.विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–15**	• प्रधानाचार्य – 1 • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक – 04 (सामा. विज्ञान, गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान/गणित) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–16**

कृषि संकाय (कुल सेक्शन–12)
• प्रधानाचार्य – 1 • प्राध्यापक – 05 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक – 04 (विज्ञान, गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (विज्ञान/गणित, हिन्दी, अंग्रेजी) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–16**

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान संकाय (कुल सेक्शन–7)	**कला संकाय (कुल सेक्शन–7)**	**वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–7)**
• प्रधानाचार्य – 1 • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (गणित/विज्ञान, सामा. विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान/गणित) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–13**	• प्रधानाचार्य – 1 • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (गणित,विज्ञान एव तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, सामा. विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–13**	• प्रधानाचार्य – 1 • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक – 04 (सामा. विज्ञान, गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान/गणित) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–14**

कृषि संकाय (कुल सेक्शन–7)
• प्रधानाचार्य – 1 • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक – 04 (विज्ञान, गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान/ गणित) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–14**

पुस्तकालय संघ राजस्थान

(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान संकाय (कुल सेक्शन–4)	**कला संकाय (कुल सेक्शन–4)**	**वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–4)**
• प्रधानाचार्य – 1 • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (गणित/विज्ञान, सामा. विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II	• प्रधानाचार्य – 1 • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II	• प्रधानाचार्य – 1 • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक – 04 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा, सा.विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II

– 01 **कुल शिक्षक– 10**	– 01 **कुल शिक्षक– 10**	– 01 **कुल शिक्षक– 11**

कृषि संकाय (कुल सेक्शन–4)
• प्रधानाचार्य – 1 • प्राध्यापक – 5 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–3) • वरिष्ठ अध्यापक – 04 (विज्ञान, गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक– 11**

1.1.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।

1.1.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।

1.1.4 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन के साथ ही जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर प्राध्यापक गणित का पद दिया जायेगा।

1.1.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा।

1.1.6 विज्ञान संकाय के साथ ही यदि कृषि संकाय का एक कृषि विज्ञान विषय (कृषि जीव विज्ञान तथा कृषि रसायन के अतिरिक्त) संचालित है तो वहाँ एक संबंधित विषय प्राध्यापक कृषि विज्ञान का पद देय होगा।

1.1.7 बिन्दु संख्या 1.1.1 में वर्णित नामांकन सीमा तक वरिष्ठ अध्यापक जिस विषय का होगा, अध्यापक लेवल–2 अन्य विषय का देय होगा, ताकि सभी विषयों का अध्यापन सुचारू से हो सके तथा कला संकाय संचालित राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 का नामांकन 100 से अधिक होने पर कॉमर्स संकाय की तर्ज पर विषय की आवश्यकता के विषय के आधार पर एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक का पद स्वीकृत किये जाने का प्रावधान जोड़ा जावे।

पुस्तकालय संघ राजस्थान

1.1.8 बिन्दु संख्या 1.1.1 में वर्णित कक्षा समूहवार नामांकन सीमा में प्रत्येक संकायवार एवं कक्षावार अतिरिक्त औसतन वृद्धि होने पर देय अतिरिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार होगाः–

क्र. सं.	कक्षा	नामांकन सीमा	प्रत्येक अतिरिक्त नामांकन (औसतन वृद्धि)*	संकाय					
				विज्ञान			कला	वाणिज्य	कृषि
				भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान	भौतिक, रसायन, गणित	भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं गणित			
				देय अतिरिक्त पद का विवरण					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
1	11–12	120	40	व.अ, विज्ञान –01	व.अ, गणित –01	व.अ. गणित – 01 व.अ, गणित –01	व.अ, सा.वि. –01	प्रध्यापक, ऐच्छिक विषय –03	व.अ, विज्ञान –01
		नामांकन सीमा 160 से अधिक (औसतन वृद्धि) होने पर उक्त पदों के स्थान पर							
		160	40	प्राध्यापक ऐच्छिक विषय –03	प्राध्यापक ऐच्छिक विषय –03	प्राध्यापक ऐच्छिक विषय –03	प्राध्यापक ऐच्छिक विषय –03	प्राध्यापक ऐच्छिक विषय –03	प्राध्यापक ऐच्छिक विषय –03
2	9–10	120	40	अ.ले.–2, विज्ञान –01 अ.ले.–2, सा.वि. –01	अ.ले.–2, विज्ञान –01 अ.ले.–2, सा.वि. –01	अ.ले.–2, विज्ञान –01 अ.ले.–2, सा.वि. –01	अ.ले.–2, विज्ञान –01 अ.ले.–2, गणित –01	अ.ले.–2, विज्ञान –01 अ.ले.–2, सा.वि. –01	अ.ले.–2, विज्ञान –01 अ.ले.–2, सा.वि. –01
		नामांकन सीमा 160 से अधिक (औसतन वृद्धि) होने पर उक्त पदों के स्थान पर							
		160	40	व.अ, गणित –01	व.अ, विज्ञान –01	व.अ, गणित –01	व.अ. सा.वि. –01	व.अ. गणित –01	व.अ, गणित –01
3	6–8	105	35	अध्यापक लेवल–प्रथम–02					
4	1–5	60	61–200	(i) प्रत्येक 30 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक					
				(ii) नामांकन 150 से अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हैड टीचर कार्य हेतु					
			200 से अधिक	प्रत्येक 40 नामांकन पर अध्यापक लेवल 1 का 01 अतिरिक्त अध्यापक					

* औसतन वृद्धि के आधार पर जैसे नामांकन सीमा 120 में 40 प्रत्येक अतिरिक्त नामांकन होने पर अर्थात् प्रथम अतिरिक्त पद 141 होने पर देय होंगे।

1.2 दो संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारण :–

1.2.1 दो संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11–12 का प्रत्येक संकाय में नामांकन 120 तक, कक्षा 9–10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6–8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1–5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :–

(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–14)	**विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–14)**	**कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–14)**
• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक – 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–6) • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (गणित/विज्ञान, सामा. विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित/विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–18**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक – 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–6) • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (गणित/विज्ञान, सामा. विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–18**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक – 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–06) • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (गणित, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–18**
विज्ञान एवं कृषि संकाय (कुल सेक्शन–14)	**कृषि एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–14)**	**कला एवं कृषि संकाय (कुल सेक्शन–14)**
• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक – 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–6) • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (गणित/विज्ञान, सामा. विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित/विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–18**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक – 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–6) • वरिष्ठ अध्यापक – 04 (विज्ञान, गणित, सामा.विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–19**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक – 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–06) • वरिष्ठ अध्यापक – 04 (विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 – 02 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–19**

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–9)	**विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–9)**	**कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–9)**
• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक – 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–6) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (गणित/विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान/गणित) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–15**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक – 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–6) • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (सामा.विज्ञान, गणित/विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–16**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक – 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–06) • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, सामा.विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01 **कुल शिक्षक–16**
विज्ञान एवं कृषि संकाय (कुल सेक्शन–9)	**कृषि एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–9)**	**कला एवं कृषि संकाय (कुल सेक्शन–9)**

• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–6) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (गणित / विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान / गणित) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–15**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–6) • वरिष्ठ अध्यापक – 04 (विज्ञान, सामा.विज्ञान, गणित एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–17**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–06) • वरिष्ठ अध्यापक – 04 (विज्ञान, गणित, विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 03 (हिन्दी, अंग्रेजी, सामा.विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–18**

(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–6)	**विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–6)**	**कला एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–6)**
• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–6) • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (हिन्दी / अंग्रेजी, गणित / विज्ञान, तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–13**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–6) • वरिष्ठ अध्यापक – 04 (हिन्दी / अंग्रेजी, गणित / विज्ञान, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–14**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–06) • वरिष्ठ अध्यापक – 04 (हिन्दी / अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–14**
विज्ञान एवं कृषि संकाय (कुल सेक्शन–6)	**कृषि एवं वाणिज्य संकाय (कुल सेक्शन–6)**	**कला एवं कृषि संकाय (कुल सेक्शन–6)**
• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–6) • वरिष्ठ अध्यापक – 03 (हिन्दी / अंग्रेजी, गणित / विज्ञान, तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–13**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं प्रत्येक ऐच्छिक विषय–6) • वरिष्ठ अध्यापक – 05 (विज्ञान, हिन्दी / अंग्रेजी, गणित, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–15**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 08 (अनिवार्य विषय–2 एवं ऐच्छिक विषय–06) • वरिष्ठ अध्यापक – 05 (विज्ञान, हिन्दी / अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं तृतीय भाषा) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–15**

1.2.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।

1.2.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।

1.2.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर प्राध्यापक गणित का पद दिया जायेगा।

1.2.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा।

1.2.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ ही कृषि संकाय का एक विषय (कृषि जीव विज्ञान तथा कृषि रसायन के अतिरिक्त) संचालित है तो वहाँ एक संबंधित विषय प्राध्यापक कृषि विज्ञान का पद देय होगा।

1.2.7 कला संकाय के साथ–साथ वाणिज्य संकाय वाले विद्यालयों में दोनों संकायों में अर्थशास्त्र विषय होने पर प्रध्यापकअर्थशास्त्र का एक ही पद (कुल 05 पद ऐच्छिक विषयों हेतु) देय होगा।

1.2.8 दो संकाय वाले विद्यालयों में दोनों संकायों में गणित ऐच्छिक विषय संचालित होने पर प्रध्यापकगणित का एक ही पद (कुल 05 पद ऐच्छिक विषयों हेतु) देय होगा।

1.2.9 प्रत्येक अतिरिक्त नामांकन औसतन वृद्धि के आधार पर प्रत्येक संकायवार पद बिन्दु संख्या 1.1.8 के अनुसार देय होंगे।

1.3. तीन संकाय (विज्ञान, कला एवं वाणिज्य) वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारण :–

1.3.1 तीन संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11–12 का प्रत्येक संकाय का नामांकन 120 तक, कक्षा 9–10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6–8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1–5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :–

(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–16)	**कृषि, वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–16)**	**विज्ञान, कृषि एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–16)**
• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 13 (अनिवार्य विषय– 4 एवं ऐच्छिक विषय– 9) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (गणित / विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 02 (विज्ञान, सामा. विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 – 03 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–22**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 13 (अनिवार्य विषय– 4 एवं ऐच्छिक विषय– 9) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (गणित, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 02 (विज्ञान, सामा. विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 – 03 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–22**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 13 (अनिवार्य विषय– 4 एवं ऐच्छिक विषय– 9) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (गणित / विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 02 (विज्ञान, सामा. विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 – 03 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01

		कुल शिक्षक–22

विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय (कुल सेक्शन–16)
• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 13 (अनिवार्य विषय– 4 एवं ऐच्छिक विषय– 9) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (गणित / विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 02 (विज्ञान, सामा. विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 – 03 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–22**

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–16)	कृषि, वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–16)	विज्ञान, कृषि एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–16)
• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 13 (अनिवार्य विषय– 4 एवं ऐच्छिक विषय– 9) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (गणित, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 02 (विज्ञान, सामा. विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–19**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 13 (अनिवार्य विषय– 4 एवं ऐच्छिक विषय– 9) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (गणित, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 02 (विज्ञान, सामा. विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–19**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 13 (अनिवार्य विषय– 4 एवं ऐच्छिक विषय– 9) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (गणित / विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 02 (विज्ञान, सामा. विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–19**

विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय (कुल सेक्शन–16)
• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 13 (अनिवार्य विषय– 4 एवं ऐच्छिक विषय– 9) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (गणित / विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 02 (विज्ञान, सामा. विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II –

01 **कुल शिक्षक–19**

(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–08)	कृषि, वाणिज्य एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–08)	विज्ञान, कृषि एवं कला संकाय (कुल सेक्शन–08)
• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 13 (अनिवार्य विषय– 4 एवं ऐच्छिक विषय– 9) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (तृतीय भाषा, गणित / विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–17**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 13 (अनिवार्य विषय– 4 एवं ऐच्छिक विषय– 9) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (तृतीय भाषा, गणित) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–17**	• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 13 (अनिवार्य विषय– 4 एवं ऐच्छिक विषय– 9) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (तृतीय भाषा, गणित / विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–17**
विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय (कुल सेक्शन–08)		
• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 13 (अनिवार्य विषय– 4 एवं ऐच्छिक विषय– 9) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (तृतीय भाषा, गणित / विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–17**		

1.3.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।

1.3.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।

1.3.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर प्राध्यापक गणित का पद दिया जायेगा।

1.3.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा।

1.3.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ ही यदि कृषि संकाय का एक विषय (कृषि जीव विज्ञान तथा कृषि रसायन के अतिरिक्त) संचालित है तो वहाँ एक संबंधित विषय प्राध्यापक कृषि विज्ञान का पद देय होगा।

1.3.7 तीन संकाय वाले विद्यालयों में तीनों संकायों में गणित ऐच्छिक विषय संचालित होने पर प्राध्यापक गणित के दो पद (कुल 08 पद ऐच्छिक विषयों हेतु) देय होंगे।

1.3.8 तीन संकाय वाले विद्यालयों में दो संकायों में गणित ऐच्छिक विषय संचालित होने पर प्राध्यापक गणित का एक ही पद (कुल 08 पद ऐच्छिक विषयों हेतु) देय होगा।

1.3.9 तीन संकाय वाले विद्यालयों में दो संकायों में अर्थशास्त्र ऐच्छिक विषय संचालित होने पर प्राध्यापक अर्थशास्त्र का एक ही पद (कुल 08 पद ऐच्छिक विषयों हेतु) देय होगा।

1.3.10 तीन संकाय वाले विद्यालयों में कला संकाय में हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनो ऐच्छिक विषय होने पर उस विषय का वरिष्ठ अध्यापक पद भी देय होगा।

1.3.11 प्रत्येक अतिरिक्त नामांकन औसतन वृद्धि के आधार पर प्रत्येक संकायवार पद बिन्दु संख्या 1.1.8 के अनुसार देय होंगे।

1.4. चार संकाय (विज्ञान, कला, वाणिज्य एवं कृषि) वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्डों का निर्धारण :–

1.4.1 चार संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11–12 का प्रत्येक संकाय का नामांकन 120 तक, कक्षा 9–10 का नामांकन 120 तक, कक्षा 6–8 का नामांकन 105 तक तथा कक्षा 1–5 का नामांकन 60 तक होने पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्मिकों के मानदंड निम्नानुसार होंगे :–

(i) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान, वाणिज्य, कला एवं कृषि संकाय (कुल सेक्शन–18)
• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 16 (अनिवार्य विषय– 4 एवं ऐच्छिक विषय– 12) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (गणित / विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 02 (विज्ञान, सामा. विज्ञान) • अध्यापक लेवल 1 – 03 • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–25**

(ii) कक्षा 6 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान, वाणिज्य, कला एवं कृषि संकाय (कुल सेक्शन–13)
• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 16 (अनिवार्य विषय– 4 एवं ऐच्छिक विषय– 12) • वरिष्ठ अध्यापक – 02 (गणित / विज्ञान, तृतीय भाषा) • अध्यापक लेवल 2 – 02 (विज्ञान, सामा. विज्ञान) • शारीरिक शिक्षक ग्रेड I / II – 01 **कुल शिक्षक–22**

(iii) कक्षा 9 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड

विज्ञान, वाणिज्य, कला एवं कृषि संकाय (कुल सेक्शन–10)
• प्रधानाचार्य – 01 • प्राध्यापक– 16 (अनिवार्य विषय– 4 एवं ऐच्छिक विषय– 12)

- वरिष्ठ अध्यापक – 02 (तृतीय भाषा, गणित/विज्ञान)
- शारीरिक शिक्षक ग्रेड I/II – 01

कुल शिक्षक–20

1.4.2 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक का पद गणित विषय का दिया जावेगा।

1.4.3 विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित का पद देय नहीं होगा।

1.4.4 विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान तथा गणित दोनों ही ऐच्छिक विषय होने पर वरिष्ठ अध्यापक गणित के स्थान पर प्राध्यापक गणित का पद दिया जायेगा।

1.4.5 विज्ञान संकाय में ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद विज्ञान विषय का एवं ऐच्छिक विषय भौतिक, रसायन एवं गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा। ऐच्छिक विषय रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान तथा गणित होने पर अध्यापक लेवल–2 का पद गणित विषय का होगा।

1.4.6 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ ही यदि कृषि संकाय का एक विषय (कृषि जीव विज्ञान तथा कृषि रसायन के अतिरिक्त) संचालित है तो वहाँ एक संबंधित विषय प्राध्यापक कृषि विज्ञान का पद देय होगा।

1.4.7 चार संकाय वाले विद्यालयों में तीन संकाय में गणित ऐच्छिक विषय संचालित होने पर प्राध्यापक गणित के दो पद (कुल 13 पद ऐच्छिक विषयों हेतु) देय होंगे।

1.4.8 चार संकाय वाले विद्यालयों में दो संकायों में गणित ऐच्छिक विषय संचालित होने पर प्राध्यापक गणित का एक ही पद (कुल 12 पद ऐच्छिक विषयों हेतु) देय होगा।

1.4.9 चार संकाय वाले विद्यालयों में दो संकायों में अर्थशास्त्र ऐच्छिक विषय संचालित होने पर प्राध्यापक अर्थशास्त्र का एक ही पद (कुल 12 पद ऐच्छिक विषयों हेतु) देय होगा।

1.4.10 चार संकाय वाले विद्यालयों में कला संकाय में हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनो ऐच्छिक विषय होने पर उस विषय का वरिष्ठ अध्यापक पद भी देय होगा।

1.4.11 प्रत्येक अतिरिक्त नामांकन औसतन वृद्धि के आधार पर प्रत्येक संकायवार पद बिन्दु संख्या 1.1.8 के अनुसार देय होंगे।

2. विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों (<u>महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी राजकीय आवासी विद्यालय) हेतु मानदण्डों का निर्धारण</u> :–

2.1 कक्षा 1 से 5 स्तर तक अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु अध्यापक लेवल–1 के 5 पद देय होंगे। (संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक, लेवल–प्रथम लगाये जाने पर उतनी ही संख्या में अध्यापक, लेवल–प्रथम के पद कम किये जायेंगे)

2.2 कक्षा 6 अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ होने पर अध्यापक लेवल–2 के 2 पद (अंग्रेजी तथा विज्ञान / गणित) देय होंगे। (संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक, लेवल–द्वितीय (अंग्रेजी / विज्ञान–गणित) लगाये जाने पर उस विषय के अध्यापक, लेवल–द्वितीय के पद कम किये जायेंगे)

2.3 कक्षा 8वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ होने पर वहा प्रधानाध्यापक (द्वितीय श्रेणी) का एक पद देय होगा। यदि यह विद्यालय कक्षा 8 के पश्चात् कक्षा 9 से 12 के लिए क्रमोन्नत होता है तो वहा एक पद प्रधानाचार्य का देय होगा।

2.4 कक्षा 9वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ होने पर निम्नांकित पद देय होंगे :–

- वरिष्ठ अध्यापक के 6 पद (अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिन्दी, सामा.विज्ञान एवं तृतीय भाषा) **यदि विद्यालय में पूर्व से एक से अधिक तृतीय भाषाऐं पढ़ाई जा रही है तो प्रत्येक तृतीय भाषा हेतु 1 पद देय होगा।**
- वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक का 01 पद
- पुस्तकालयाध्यक्ष – 01 पद
- प्रयोगशाला सहायक –01 पद
- बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक / वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक– 01 पद

2.5 कक्षा 11वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारम्भ होने पर एक संकाय होने की स्थिति में प्राध्यापक के 5 पद (2 अनिवार्य व 3 ऐच्छिक विषय के अनुसार) देय होंगे।

2.6 प्राध्यापकओं के 5 पद स्वीकृत होने पर वरिष्ठ अध्यापकों के पद हिन्दी माध्यम के विद्यालयों के मानदण्डानुसार ही कम किये जायेंगे।

2.7 नामांकन अनुसार अतिरिक्त विषय / अतिरिक्त संकाय प्रारम्भ किये जाने पर प्राध्यापकओं एवं वरिष्ठ अध्यापकों के पद हिन्दी माध्यम विद्यालयों के लिए तय मानदण्डानुसार ही सृजित / कम किये जायेंगे।

2.8 **पूर्व प्राथमिक / बाल वाटिका कक्षाए (Nursery, L.K.G. & U.K.G.) संचालित विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षक / पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड–द्वितीय / पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड–प्रथम / वरिष्ठ पूर्व प्राथमिक शिक्षक के 02–02 पद देय होंगे। पूर्व प्राथमिक / बाल वाटिका कक्षा में 75 से अधिक नामांकन होने पर 25 अतिरिक्त नामांकन औसतन वृद्धि होने पर 01 अतिरिक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड–द्वितीय, 100 से अधिक नामांकन पर 25 अतिरिक्त नामांकन औसतन वृद्धि होने पर 01 अतिरिक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड–प्रथम एवं 125 से अधिक नामांकन पर 25 अतिरिक्त नामांकन औसतन वृद्धि होने पर 01 अतिरिक्त वरिष्ठ पूर्व प्राथमिक शिक्षक का पद देय होगा।**

2.9 **जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब / आई.सी.टी. लैब संचालित हैं उन विद्यालयों में बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का एक पद तथा कम्प्यूटर लैब / आई.सी.टी. लैब संचालन के साथ–साथ जिन विद्यालयों में कम्प्यूटर विज्ञान ऐच्छिक विषय के रूप में संचालित है वहाँ बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के स्थान पर वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक का एक पद देय होगा।**

2.10 महात्मा गाँधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मानदंड निम्नानुसार होंगे :–

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	वरिष्ठ सहायक	1	कक्षा 9 का अंग्रेजी माध्यम में संचालन शुरू होने पर।

2	कनिष्ठ सहायक	1	कक्षा 8 का अंग्रेजी माध्यम में संचालन शुरू होने पर।
3	सहायक कर्मचारी	3	अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय प्रारम्भ होने पर।

3. मानदंड निर्धारण के अन्य प्रावधान :–

3.1 प्रधानाचार्य द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 12 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा एवं उप–प्राचार्य द्वारा भी प्रत्येक सप्ताह में 18 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।

3.2 विषय प्राध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 33 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः विषय प्राध्यापक द्वारा कक्षा 11 एवं 12 के शैक्षणिक कार्य के सम्पादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 9 एवं 10 को भी शिक्षण कार्य कराया जावेगा।

3.3 वरिष्ठ अध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 36 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 9 व 10 के कार्य सम्पादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 6, 7 एवं 8 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। प्राध्यापक के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 11 एवं 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।

3.4 अध्यापक लेवल–2 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः अध्यापक लेवल–2 द्वारा कक्षा 6–8 का शिक्षण कार्य सम्पादन के पश्चात् कालांश भार शेष रहने पर कक्षा 1–5 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। प्राध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के अध्यापक लेवल–2 द्वारा कक्षा 9 से 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।

3.5 अध्यापक लेवल–1 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कक्षा 1 से 5 को कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।

3.6 उपरोक्तानुसार मुख्य शैक्षिक विषय कालांशों के अतिरिक्त प्रधानाचार्य द्वारा सहशैक्षिक गतिविधियों के कालांश समानुपातिक रूप से आवश्यकतानुसार आवंटित किये जावेंगे।

3.7 उच्च माध्यमिक विद्यालयो में कला/वाणिज्य संकायो में तीन ऐच्छिक विषय ही होंगे। अतिरिक्त ऐच्छिक विषय संबंधित संकाय में कक्षा 11–12 में 120 से अधिक नामांकन होने एवं अतिरिक्त विषय में कक्षा 11 में 20 से अधिक विद्यार्थी होने पर अतिरिक्त विषय खोले जाने के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर मॉडयूल बनाया जाकर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद उन विद्यार्थियों से ऐच्छिक विषय चयन के लिए विकल्प भरवाया जायेगा। उसी के आधार पर आवश्यकता का आकलन कर अतिरिक्त विषय राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही खोला जावेगा।

3.8 यदि किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला/वाणिज्य संकाय में तीन से अधिक ऐच्छिक विषय है एवं कक्षा 11–12 में नामांकन 120 से कम है तो कक्षा 11 में किसी अतिरिक्त ऐच्छिक विषय में 20 से कम विद्यार्थी प्रवेश हेतु इच्छुक होने पर उस ऐच्छिक विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा वर्तमान सत्र में कक्षा 12 में 10 या उससे अधिक विद्यार्थी होने पर वर्तमान सत्र में अतिरिक्त विषय चालू रहेगा तथा आगामी सत्र से तीन ऐच्छिक विषयों के अतिरिक्त ऐच्छिक विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि वर्तमान सत्र में कक्षा 12 में 10 से कम विद्यार्थी है तो अतिरिक्त ऐच्छिक विषय /पद समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऐच्छिक विषय में परिवर्तन संबंधित विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के उपरान्त एवं संबंधित जिला शिक्षा

अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक से पूर्ण प्रस्ताव मय स्पष्ट अभिशंषा के प्राप्त होने पर इस परिवर्तन हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

<u>अपवाद</u>– यदि किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में तीन ऐच्छिक विषय के अतिरिक्त चतुर्थ ऐच्छिक विषय अल्पभाषा विषय (सिंधी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी एवं संगीत) हो तथा स्वीकृत विषय व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक का पद भरा हुआ हो तो चतुर्थ ऐच्छिक विषय बंद नहीं किया जायेगा। परन्तु यदि लगातार तीन वर्षों तक नामांकन 10 से कम रहता है तो ऐसे विषय को बन्द किया जावेगा।

3.9 विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ–साथ कृषि संकाय भी है तो वहाँ कृषि संकाय में छात्र संख्या 20 से अधिक होने पर एक प्राध्यापक कृषि देय होगा। यदि छात्र संख्या 20 से कम है तो कृषि संकाय बंद कर दिया जावेगा।

3.10 कक्षा 6 से 12 में नामांकन 200 तक वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं दिया जावेगा। कक्षा 6 से 12 में नामांकन 200 से अधिक होने पर पुस्तकालयाध्यक्ष प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी का 1 पद दिया जायेगा। पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड–प्रथम एवं द्वितीय के कुल स्वीकृत पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। कुल स्वीकृत पदों में कमी अथवा वृद्धि केवल तृतीय श्रेणी के पदों में की जावेगी।

3.11 750 से अधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक प्रथम श्रेणी का पद, 251 से 750 नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक द्वितीय श्रेणी तथा अन्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी का पद देय होगा।

3.12 एक से अधिक परिसरों में संचालित विद्यालयों के लिये परिसर में संचालित कक्षाओं के अनुरूप उक्त मानदण्डों के अनुसार शिक्षक उपलब्ध करवाये जायेंगे। उदाहरणार्थ :– एक परिसर में कक्षा 9 से 12 व दूसरे परिसर में कक्षा 1 से 8 संचालित होने पर कक्षा 9 से 12 हेतु पदों का निर्धारण 1.1.1(iii) तथा कक्षा 1 से 8 हेतु आरटीई, 2009 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

3.13 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद स्वीकृत नहीं होने पर उन विद्यालयों में बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक/वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक का पद देय होगा एवं पुस्तकालयाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में भी पुस्तकालय के प्रभारी के दायित्व का निर्वहन बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक/वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक द्वारा किया जायेगा।

3.14 जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं हेतु एक से अधिक तृतीय भाषा के पद स्वीकृत हैं, ऐसे विद्यालयों में जिस तृतीय भाषा में 10 विद्यार्थियों से कम विद्यार्थी संख्या है एवं विषय अध्यापक का पद भी रिक्त है, तो अतिरिक्त तृतीय भाषा के पद को समाप्त कर दिया जायेगा।

3.15 विशेष शिक्षा के शिक्षण हेतु पदों के लिए मानदण्ड :–

3.15.1 अध्यापक, लेवल–प्रथम/अध्यापक लेवल–द्वितीय (विशेष शिक्षा) :– प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में कक्षा 1 से 8 तक में विशेष श्रेणी के न्यूनतम 10 विद्यार्थी होने पर अधिकतम विद्यार्थियों की दिव्यांगता श्रेणी अनुसार अध्यापक लेवल–प्रथम/द्वितीय, उसके पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालय में एक पद देय होगा।

3.15.2 वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा) :– प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में विशेष श्रेणी के कक्षा 9 से 10 तक में विशेष श्रेणी के न्यूनतम 15 विद्यार्थी होने पर अधिकतम विद्यार्थियों की दिव्यांगता श्रेणी अनुसार वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा का पद उस श्रेणी के अधिकतम नामांकन वाले विद्यालय में एक पद देय होगा।

3.15.3 प्राध्यापक (विशेष शिक्षा) :– 10000 से अधिक आबादी वाले कस्बों/गॉवों में स्थित विद्यालयों मे से कक्षा 11वीं व 12वीं में अधिकतम दिव्यांग श्रेणी के नामांकन वाले विद्यालयों में प्राध्यापक(विशेष शिक्षा) का एक–एक पद स्वीकृत किया जोयगा एवं जिला मुख्यालय के विद्यालयों में से कक्षा 11वीं व 12वीं में अधिकतम दिव्यांग श्रेणी के विद्यार्थियों के नामांकन वाले विद्यालयों में (01 पद सह–शिक्षा विद्यालय में तथा 01 पद बालिका विद्यालय में) प्राध्यापक–विशेष शिक्षा का एक–एक पद स्वीकृत किया जायेगा।

4. मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु मानदण्ड :–

4.1 उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मानदंड निम्नानुसार होंगे :–

विद्यालय का स्तर	नामांकन (01 से 12)	मंत्रालयिक कर्मचारी	सहायक कर्मचारी
उच्च माध्यमिक (1 से 12 के नामांकन पर आधारित)	100 तक	कनिष्ठ सहायक–1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–2
	101–500 तक	कनिष्ठ सहायक–1 एवं वरिष्ठ सहायक/सहा.प्रशा.अधि–1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–3
	501–1000 तक	कनिष्ठ सहायक–1 एवं वरिष्ठ सहायक/सहा.प्रशा.अधि–2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–2 एवं जमादार–3
	1000 से अधिक	कनिष्ठ सहायक–2 एवं वरिष्ठ सहायक/सहा.प्रशा.अधि–2 तथा अति.प्रशा.अधि.–1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–2 एवं जमादार–4

4.2 समस्त पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कनिष्ठ सहायक एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 1–1 पद अतिरिक्त देय होंगे। यदि पीईईओ/यूसीईईओ विद्यालयों के अधीनस्थ विद्यालयों की संख्या 10 या 10 से अधिक होने पर उक्त के अतिरिक्त एक वरिष्ठ सहायक का पद भी देय होगा।

4.3 विज्ञान संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित ऐच्छिक विषय होने पर 2 प्रयोगशाला सहायक एवं 2 प्रयोगशाला सेवक के पद देय होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय होने पर 3 प्रयोगशाला सहायक एवं 3 प्रयोगशाला सेवक देय होंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय के साथ कृषि संकाय/भूगोल विषय भी है तो विद्यालय में एक अतिरिक्त प्रयोगशाला सहायक एवं एक अतिरिक्त प्रयोगशाला सेवक का पद देय होंगे।

5. मानदंडानुसार विद्यालयवार पदों का निर्धारण एवं समानीकरण हेतु प्रक्रिया :–

5.1 मानदंडानुसार विद्यालयों में पदों का निर्धारण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा :–

1. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी — अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा — सदस्य

3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य सचिव
4. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा मनोनीत दो प्रधानाचार्य (1 शहरी क्षेत्र एवं 1 ग्रामीण क्षेत्र से)	सदस्य

5.2 समिति की अभिशंषा पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सीमा तक जारी किये जायेंगे। यदि कुल स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है तो वित्त विभाग/राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त की जावेगी।

5.3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश जारी करने के पश्चात् संबंधित अधिकारी द्वारा विद्यालय में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक/कार्मिक (विद्यालय में ठहराव के आधार पर) को विषयवार/संवर्गवार Surplus किया जाकर अन्य विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जावेगा।

5.4 उपरोक्तानुसार पदों के पुनःनिर्धारण एवं समानीकरण की कार्यवाही प्रत्येक दो वर्ष में एक बार की जावेगी। सामान्यतया समस्त कार्यवाही 15 जून तक पूर्ण कर ली जावेगी। मानदंडों के अनुसार पदों की गणना हेतु गत वर्ष की 30 सितम्बर को विद्यालय में नामांकन को आधार माना जावेगा।

6. नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदों का सृजन :–

(वर्ष 2023–24 से वर्ष 2024–25 तक उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों सहित)

6.1 नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के प्रध्यापकही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु प्राध्यापक के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।

6.2 इन विद्यालयों में तृतीय वर्ष से कक्षा 11 व 12 में कुल नामांकन 50 से अधिक होने पर अनिवार्य विषय (अंग्रेजी व हिन्दी) के वरिष्ठ अध्यापक के स्थान पर प्राध्यापक के पद दिये जायेंगे।

6.3 नवक्रमोन्नत विद्यालयों में नवसृजित प्राध्यापकओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में operate किया जावेगा, परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु प्राध्यापक संवर्ग में ही की जावेगी।

6.4 इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं दिया जावेगा तथा द्वितीय वर्ष में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद बिन्दू संख्या 3.11 पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार दिया जावेगा।

6.5 इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में विज्ञान संकाय के लिए केवल एक प्रयोगशाला सहायक व एक प्रयोगशाला सेवक दिये जावेंगे, शेष पद बिन्दु संख्या 4.3 पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार द्वितीय वर्ष में दिये जायेंगे।

6.6 राजकीय विद्यालयों में संकाय खोले जाने के साथ ही संबंधित प्राध्यापक विषय के पद स्वीकृत किये जावे, जिससे विद्यार्थियों को प्रवेश के समय से ही शिक्षण सुचारू रूप से हो सकें।

6.7 उक्त आदेश शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक कार्मिकों के मानदण्ड निर्धारित हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अधिक्रमण में जारी किये जाते है।

***